छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023–24

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अंकित आनंद)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

1.	विभाग का नाम	:	वित्त विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री ओ पी चौधरी

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव	:	श्री अंकित आनंद
सचिव सह संचालक बजट	:	श्रीमती शारदा वर्मा
विशेष सचिव	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री अतीश पाण्डेय
	:	2. श्री राजेश कुमार सिसोदिया
उप सचिव	:	1. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
	:	2. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का
	:	3. श्री ऋषभ पाराशर
	:	4. श्री सीताराम तिवारी
अवर सचिव	:	1. श्री इन्द्रप्रकाश रात्रे
	:	2. श्री कृष्णकांत खरान्शु
	:	3. श्रीमती शांता खरे
	:	4. श्रीमती हिमशिखा साहू
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री निखिल कुमार अग्रवाल
	:	2. श्री धर्मेन्द्र पटेल
	:	3. श्री उत्कल कुमार शर्मा
	:	4. श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
शोध अधिकारी	:	सुश्री अनिता सोनी

विभागाध्यक्ष

1.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	:	श्री महादेव कावरे
2.	संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि	:	श्री महादेव कावरे
3.	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	:	सुश्री पुष्पा साहू
4.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
5.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्रीमती शारदा वर्मा

विषय—सूची

क्र.	अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग	1 से 8 तक
2.	विभागाध्यक्ष	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	9 से 16 तक
		2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि	17 से 21 तक
		3. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	22 से 29 तक
		4. संचालनालय, संस्थागत वित्त	30 से 34 तक
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	35 से 36 तक
3.	आयोग	चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग	37 से 38 तक

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 **विभागीय भूमिका** :– छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

नियम 11 (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

नियम –26 वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं.

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(सात) वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथासंभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

नियम –27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

नियम –28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ङ) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

नियम –29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

नियम –30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज–पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे.

नियम –31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

नियम –32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्य होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्धांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उल्लंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लाभ के साधन न हो जाये.

नियम –32–क अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

नियम –33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा–परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

1.2 संरचना :–

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आबंटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुनर्भुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

1.3 वित्त विभाग का दायित्व एवं कार्य :–

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है। इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(1) लोक–कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चों हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना

(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन

(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास

(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना

(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना

(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना

(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना

(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना

(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।

(11) संचालक, ''छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा'' द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना।

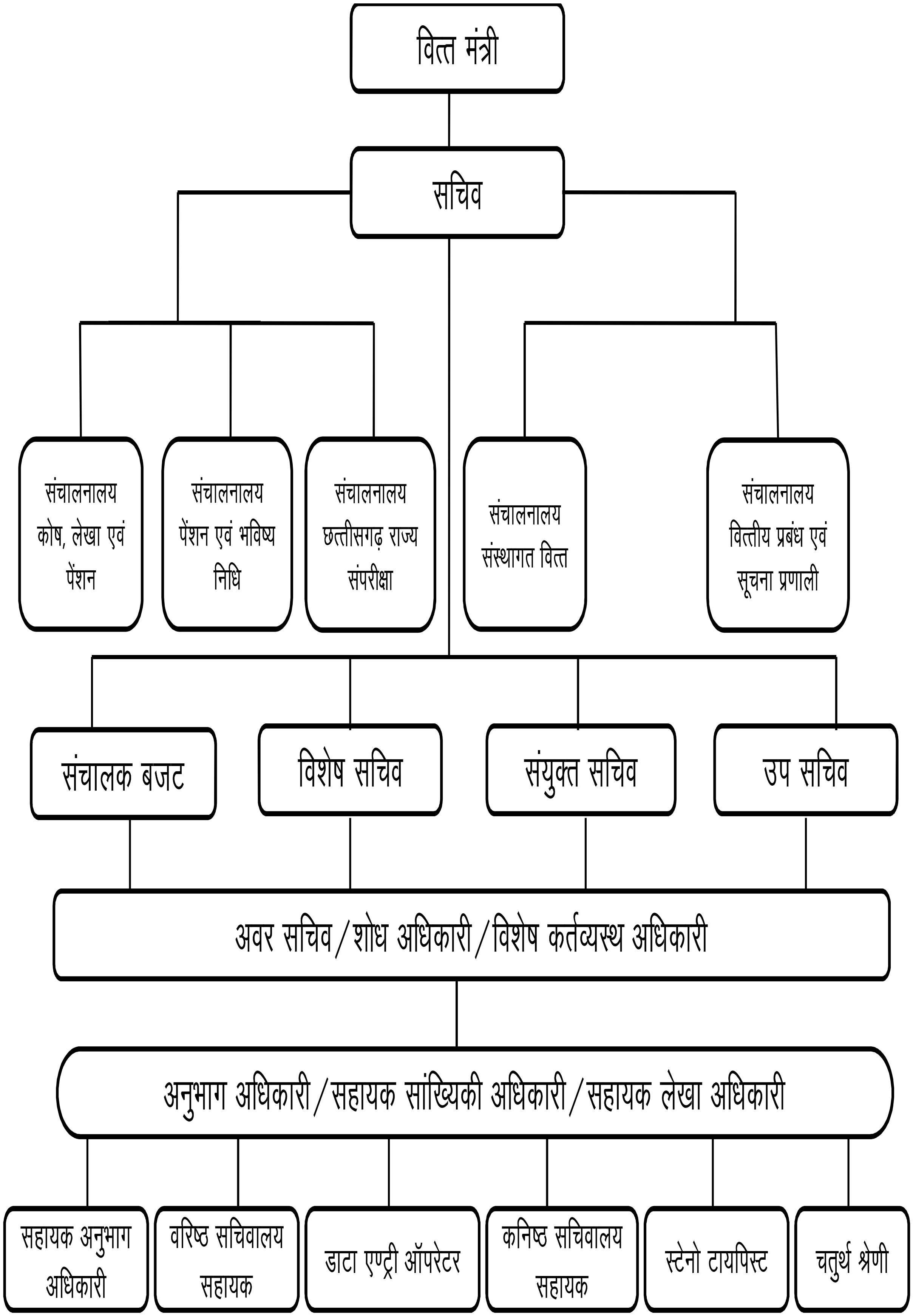
वित्त मंत्री
सचिव
संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि
संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
संचालनालय संस्थागत वित्त
संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली
संचालक बजट
विशेष सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
अनुभाग अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी
सहायक अनुभाग अधिकारी
वरिष्ठ सचिवालय सहायक
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
कनिष्ठ सचिवालय सहायक
स्टेनो टायपिस्ट
चतुर्थ श्रेणी

वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/आयोग

1. संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन
2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि
3. संचालनालय, ''छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा''
4. संचालनालय, संस्थागत वित्त
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली
6. चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य शामिल हैं।

1. अधीनस्थ कार्यालय :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन ऑडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 33 जिला कोषालय, 01 इन्द्रावती कोषालय, 34 उप कोषालय तथा 04 लेखा प्रशिक्षण शालायें हैं।

2. स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, ऑडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

(अ) संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	आयुक्त / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
2	वित्त नियंत्रक	लेवल–16	प्रथम श्रेणी	01
3	अपर संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	02
4	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	08
5	उप संचालक	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	27
6	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	01
7	सहायक संचालक	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	41
8	प्रोग्रामर	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	04
9	सहायक कोषालय अधिकारी / उपकोषालय अधिकारी / सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	151
10	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
11	स्टेनोग्राफर ग्रेड–01	लेवल–11	तृतीय श्रेणी	01
12	कार्यालय अधीक्षक	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
13	कार्यालय अधीक्षक	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01
14	स्टेनोग्राफर ग्रेड–02	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	02
15	स्टेनोग्राफर ग्रेड–03	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	02
16	सहायक ग्रेड–01	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	16
17	सहायक ग्रेड–02	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	23
18	सहायक ग्रेड–03	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	34
19	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	04
20	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	04
21	वाहन चालक	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	09
22	दफ्तरी	लेवल–02	चतुर्थ श्रेणी	01
23	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	10
24	चौकीदार	कलेक्टर दर	आकस्मिकता	01
25	वाटरमैन	कलेक्टर दर	आकस्मिकता	01
26	स्वीपर	कलेक्टर दर	अंशकालीन	01
			योग	**348**

नोट :–अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु छत्तीसगढ राज्य के विभिन्न कार्यालय हेतु कुल–320 पद, प्रशिक्षण रक्षित 5 प्रतिशत के अनुसार 26 पद एवं अवकाश रक्षित 5 प्रतिशत के अनुसार 26 पद इस प्रकार कुल–523 पद स्वीकृत है।

(ब) संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के (ऑडिट प्रकोष्ठ) में स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	अपर संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	01
4	सहायक संचालक	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	08
5	स्टेनोग्राफर ग्रेड–03	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड–02	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड–03	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	05
			योग	**44**

(स) संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन की स्वीकृत पदों की जानकारी

स. क्र.	पदनाम	श्रेणी	सातवां वेतनमान लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या					
				रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	अंबिकापुर	दुर्ग	कुल
1	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	09	–	–	–	01	01	02
2	स्टेनाग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	07	01	01	01	01	01	05
3	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	07	01	01	–	–	–	02
4	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	07	03	04	02	03	02	14
5	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06	03	04	02	02	03	14
6	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04	04	05	02	03	04	18
7	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	04	01	01	01	01	01	05
8	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	02	01	01	01	01	–	04
9	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	01	04	04	02	02	04	16
10	चौकीदार		कलेक्टर दर	01	01	01	01	01	05
11	वाटर मैन		कलेक्टर दर	01	01	–	01	–	03
12	स्वीपर अंशकालीन		कलेक्टर दर	01	01	01	01	01	05
		योग		**21**	**24**	**13**	**17**	**18**	**93**

(द) लेखा प्रशिक्षण शाला की स्वीकृत पदों की जानकारी

स. क्र.	पदनाम	श्रेणी	सातवां वेतनमान का लेवल	स्वीकृत पदों की संख्या				
				रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	अंबिकापुर	कुल
1	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06	01	01	01	01	04
2	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04	01	01	01	01	04
3	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	01	02	02	02	02	08
4	चौकीदार	–	कलेक्टर दर	–	01	01	–	02
5	वाटर मैन	–	कलेक्टर दर	–	01	–	–	01
6	फर्राश	(अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01	01	01	–	03
			योग	**05**	**07**	**06**	**04**	**22**

(इ) कोषालय/उप कोषालय की स्वीकृत पदों की जानकारी

स.क्र	पदनाम	श्रेणी	सातवां वेतनमान का लेवल	स्वीकृत पदों की संख्या		
				कोषालय	उपकोषालय	कुल पद
1	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	09	29	–	29
2	लेखा सहायक	तृतीय श्रेणी	07	74	–	74
3	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06	184	34	218
4	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04	230	39	269
5	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	06	38	–	38
6	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	02	34	–	34
7	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	01	104	34	138
8	चौकीदार		कलेक्टर दर	01	–	01
9	वाटर मैन		कलेक्टर दर	34	–	34
10	फर्राश		कलेक्टर दर	34	–	34
			योग	**762**	**107**	**869**

3. कोष प्रचालन :–

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य में 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 04 लेखा प्रशिक्षण शालाएं, 33 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर तथा 34 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छ.ग कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

(ब) **सामान्य भविष्य निधि :–** राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि को अंतिम भुगतान **''ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम''** के माध्यम से किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत सामान्य भविष्य निधि को अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन जारी किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक में राशि का प्रतिमाह अंशदान निकासी एवं अंतशेष का विवरण प्रतिमाह एस.एम.एस. के माध्यम से अभिदाताओं को प्राप्त हो रहा है।

(स) संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय दिनांक 30.01.2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति :– 01 नवम्बर 2004 से नियुक्त किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना प्रदान किये जाने के फलस्वरूप क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक 422/640/2022/स्था/चार, दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय दिनांक 30.01.2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. ई–कोष :–

4.1 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :– राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेटवर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **''ई–कोष''** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे कि डिपॉजिट, ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **साईबर ट्रेजरी** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नवा रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिला एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

4.2 ई–चालान की सुविधा :– राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

वर्तमान में ई–चालान के साथ–साथ राजस्व प्राप्ति का सही लेखांकन हेतु OTC (Over the counter) माध्यम से चालान को जनरेट कर चेक के माध्यम से बैंक में जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जाएगा।

4.3 ई–पेमेंट :– भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई–पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01 जून 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक के **ई–कुबेर** साफ्टवेयर के माध्यम से राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य प्रारंभ किया गया है।

4.4 पेपरलेस डाटा फार्म :– एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कोषालयों से महालेखाकार को भेजे जाने वाले भौतिक प्रमाणकों के स्थान पर ई–प्रमाणक भेजने के क्रम में वर्तमान में वेतन देयकों को ई–प्रमाणक (डिजिटल हस्ताक्षर अंकित कर) के रूप में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।

4.5 ई–कोष एवं ई–वर्क्स इंटिग्रेशन :– कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यो से संबंधित व्यय स्वयं चेक के माध्यम से किया जाता है, उपर्युक्त निर्माण कार्य से संबंधित व्यय की जानकारी e-Kosh में प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्तमान में निर्माण विभागों के e-works software का Integration e-kosh के साथ किया गया है, जिससे उक्त विभागों के व्यय का संपूर्ण विवरण e-kosh portal में प्रदर्शित होता है।

अभिनव योजना

राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाईन किया गया है, जिसमें आहरण संवितरण स्तर से सामान्य भविष्य निधि का प्रकरण ऑनलाईन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात् महालेखाकार कार्यालय से Online Digital हस्ताक्षर युक्त अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। उक्त Digital हस्ताक्षर युक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर ही कोषालयों से सीधे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी जाती है। उक्त कार्य जिला कोषालय रायपुर में 01.11.2020 से प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 01.04.2021 से समस्त राज्य में Online GPF Final Payment प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है ।

5. विभागीय निरीक्षण :– संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदित रोस्टर अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला कोषालय	उप कोषालय
1	अप्रैल 2023	–	कोण्डागांव / नारायणपुर	–
2	मई 2023	जगदलपुर	जगदलपुर	भोपालपट्टनम्
3	जून 2023	–	कांकेर	आरंग / बागबाहरा
4	जुलाई 2023	–	बलौदाबाजार / बेमेतरा	बिलाईगढ़ / साजा
5	अगस्त 2023	बिलासपुर	बिलासपुर / मुंगेली	कटघोरा
6	सितम्बर 2023	रायपुर	जांजगीर–चांपा	खरसिया
7	अक्टूबर 2023	–	रायपुर	देवभोग
8	नवंबर 2023	–	इन्द्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर	अंबागढ़ चौकी
9	दिसम्बर 2023	दुर्ग	दुर्ग	छुईखदान / डोंगरगढ़
10	जनवरी 2024	–	जशपुर	पत्थलगांव
11	फरवरी 2024	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	–

टीप :– स.क्र. 01 से 07 (उप कोषालय देवभोग के अतिरिक्त) तक के कार्यालयों का संचालनालय द्वारा निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है एवं सभी नामांकित कार्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है। माह अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण किये जायेंगे।

6. विभागीय परीक्षाएं :—संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन विभागीय परीक्षाएं नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता हैः—

1. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा
2. छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग—1 एवं भाग—2
3. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग—1 एवं भाग—2
4. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (कोषालयीन एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के संवर्ग में नियुक्ति हेतु विभागीय परीक्षा) भाग—1 एवं भाग—2

वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह नम्बर तक निम्नानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया गया है :—

6.1 छ.ग.राज्य वित्त सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग—1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अप्रैल— 2023 दिनांक 10.04.2023 से 18.04.2023 तक	01	01	—	01	01	—

6.2 छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग—2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अप्रैल—2023 दिनांक 10.04.2023 से 18.04.2023 तक	25	25	—	25	20	05
सितम्बर— 2023 दिनांक 08.09.2023 से 15.09.2023 तक	06	05	01	06	04	02

6.3 छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग—1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अप्रैल—2023 दिनांक 10.04.2023 से 17.04.2023 तक	03	03	—	03	03	—

6.4 छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग—2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अप्रैल—2023 दिनांक 10.04.2023 से 17.04. 2023 तक	42	40	02	42	25	17
सितम्बर—2023 दिनांक 08.09.2023 से 14.09.2023 तक	20	19	01	20	02	18

6.5 लेखा प्रशिक्षण परीक्षा

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2023 दिनांक 27.02.2023 से 07.03.2023 तक	192	190	02	192	101	91
जून–2023 दिनांक 26.06.2023 से 05.07.2023 तक	185	181	04	185	145	40

7. ऑडिट प्रकोष्ठ :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार, दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है। ''ऑडिट प्रकोष्ठ'' द्वारा राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाकर विभागों में आर्थिक हानि, वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय नियमों की उपेक्षा आदि से संबंधित प्रकरणों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के रोस्टर अनुसार पूर्व नियोजित एवं योजनाबद्ध अंकेक्षण वर्ष 2023–24 में विभिन्न कार्यालयों के वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन कुल 176 जिला कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना निर्धारित है। माह दिसम्बर 2023 तक की स्थिति में कुल 109 इकाईयों का अंकेक्षण सत्यापन किया गया है। शेष कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन माह मार्च 2024 तक पूर्ण किया जावेगा।

8. सूचना का अधिकार :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से माह जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

स.क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत किये गये आवेदन	कुल आवेदन अस्वीकृत	कुल निराकृत प्रकरण
1	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत् ऑफलाईन आवेदन	93	91	02	91
2	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत् ऑनलाईन आवेदन	63	61	02	61
3	प्रथम अपील हेतु आवेदन	18	18	–	18
4	द्वितीय अपील हेतु आवेदन	–	–	–	–

9. प्रशिक्षण :– इस संचालनालय के अधिकारियों को समय–समय पर निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :–

अ–पदोन्नति से आये राज्य वित्त सेवा अधिकारियों का विवरण :– छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में कुल 18 अधिकारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण।

ब–परिवीक्षाधीन अधिकारियों का विवरण :– राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित वर्ष 2023 बैच के कुल 11 राज्य वित्त सेवा अधिकारियों (परि.) तथा अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों (परि.) के कुल 10 अधिकारियों को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण।

भाग–दो बजट एक दृष्टि में–
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 29.12.2023 की स्थिति में)

मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन (राशि रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	1,56,05,000	94,08,646
2	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	21,38,20,000	8,47,83,556
3	(4307)	संभागीय स्थापना	10,99,40,000	6,43,36,856
4	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	1,50,51,000	38,71,810
5	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	4,94,50,000	2,45,02,034
6	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	12,51,10,000	3,31,11,211
7	(1026)	खजाना स्थापना	40,36,50,000	30,84,03,320
		योग 2054–	**93,26,26,000**	**52,84,17,433**

मांग संख्या–06, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

8	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	20,00,000	20,00,000
		योग 2235–	**20,00,000**	**20,00,000**

मांग संख्या–06, 2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

9	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	30,00,00,000	22,40,82,181
		योग 2071–	30,00,00,000	22,40,82,181

मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओ पर पूंजी

10	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	58,00,000	6,38,693
11	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना (वाहनों का क्रय)	6,50,000	0
		योग 4070–	**64,50,000**	**63,86,93**
		महायोग–	**1,24,10,76,000**	**75,51,38,307**

समूह बीमा योजना :–यह योजना प्रदेश के शासकीय सेवकों को कम लागत पर तथा पूर्णतः अंशदायी स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी सहायता के लिए बीमा सुरक्षा तथा उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनो को बढ़ाने के लिए एकमुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करता है।

वर्ष 2017 से इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवको के वेतन से चतुर्थ श्रेणी हेतु रू.180/– तृतीय श्रेणी हेतु रू. 300/–द्वितीय श्रेणी हेतु रू.360/– एवं प्रथम श्रेणी हेतु रू.480/– का कटौत्रा किया जाता है तथा सेवाकाल में मृत्यु की दशा में क्रमशः श्रेणीवार राशि रू.1,80,000/– 3,00,000/–3,60,000/– एवं 4,80,000/– की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। साथ ही उनके बचत निधि की राशि का भुगतान समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित ब्याज का ब्याज मय भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए **मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज संदाय** की जानकारी योजनावार निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये में)

स.क्र.	डेबिट शीर्ष	वर्ष 2023–24 में प्रावधानित राशि
1	2049–60–701–4192 बीमा निधि 35–002	26,00,00,000
2	2049–60–701–4198 बचत निधि 35–002	62,00,00,000
3	2049–60–701–4209 एफ.बी.एफ. 35–002	2,50,00,000

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, तृतीय तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक 422/640/2022/स्था./चार दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ कार्यालय को दिनांक 30.01.2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में पेंशन तथा वेतन निर्धारण, अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के लेखांकन एवं संधारण के कार्य शामिल हैं ।

1.1 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के स्वीकृत पदों की जानकारी–

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
2	वित्त नियंत्रक	लेवल–16	प्रथम श्रेणी	01
3	अपर संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	01
4	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	01
5	सहायक संचालक	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	02
6	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	02
8	सहायक ग्रेड–1	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01
9	सहायक ग्रेड–2	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	02
10	सहायक ग्रेड–3	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	04
11	स्टेनोटायपिस्ट	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	01
12	वाहन चालक	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	04
13	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	02
14	वाटरमैन	–	कलेक्टर दर	01
15	फर्राश	अंशकालीन	कलेक्टर दर	01
		योग		**28**

1.2 मुख्य कर्त्तव्य :–

1.2.1 पेंशन व वेतन निर्धारण :– राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि का है।

1.2.2 अंशदायी पेंशन योजना :– दिनांक 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात् केन्द्रीय एवं अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवको हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है। इस योजना में 31 दिसंबर 2023 तक लगभग 400 शासकीय सेवक शामिल है।

दिनांक 01.11.2004 से 01.04.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए NPS/OPS चयन करने हेतु विकल्प का प्रावधान दिया गया था। जिसके तहत 2,466 शासकीय सेवकों द्वारा NPS योजना में बने रहने का विकल्प चयन किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से इन शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है।

1.2.3 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि :– छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता लेखांकन एवं संधारण वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

1.3 उपलब्धियां :–

1.3.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :– माह नवम्बर 2000 से दिसंबर 2023 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :–

1 पेंशन प्रकरणों की संख्या – 1,30,962

2. वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या – 2,59,065

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं अन्य सुविधाएं प्रदाय करने हेतु ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ''**आभार आपकी सेवाओ का**'' वित्त निर्देश 28/2018 द्वारा मई 2018 से लागू किया गया है जो https://cgpension.nic.in/ पर उपलब्ध है। यह एक एकीकृत ऑनलाईन व्यवस्था है, जिसमें पेंशन प्रकरण तैयार करने से लेकर बैंक द्वारा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है। पेंशनर को विभिन्न प्रकार की सुविधा मोबाईल एप एवं वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है तथा पेंशन की जानकारी उन्हें एस.एम.एस. के माध्यम से घर बैठे प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही पेंशन भुगतान में आ रही किसी प्रकार की समस्याओं के लिए पेंशनर द्वारा ऑनलाईन शिकायत कर उसके निराकरण की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य की गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 26/2023 में 31 दिसंबर व 30 जून को सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके अनुक्रम में समस्त संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति पर वेतन में काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा कर/सेवानिवृत्ति लाभों की पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है तथा पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तैयार कर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं। वर्तमान में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा ऐसे पेंशन प्रकरणों के पुरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1.3.2 अंशदायी पेंशन योजना :–

1. दिनांक 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात् अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवकों का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवको हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है। इस योजना में 31.12.2023 तक लगभग 400 शासकीय सेवक शामिल है। दिनांक 01.11.2004 से 01.04.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए NPS/OPS चयन करने हेतु विकल्प का प्रावधान दिया गया था। जिसके तहत 2,466 शासकीय सेवकों द्वारा NPS योजना में बने रहने का विकल्प चयन किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से इन शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 से Server to Server Integration के माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN आबंटित होने से PRAN एवं इम्पलाई आई.डी. साथ ही ई–कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी

विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. एन.पी.एस. खाते का प्रकार – **अ.** टियर–1 गैर–निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा। **ब.** टियर–2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

4. PRAN खाते में अंशदान जमा की प्रक्रिया – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष–8342 एवं नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष–2071 से आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष–8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

5. हितधारी – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित हितधारी निम्नानुसार हैं –

अ– एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

ब– एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियुक्त किया गया है ।

स– कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

द– राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी. एल. की सेवाएँ ली जा रही है।

ई– फण्ड मैनेजर– एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल. आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड

6. लाभ –

i. मोबाइल एप तथा एनएसडीएल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एनपीएस खाते से संबंधित विवरण

ii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानांतरित करने का लचीलापन

iii. **कर्मचारियों को कर लाभ**– अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है–

(क) कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सीसीई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर में छूट

(ख) नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सीसीडी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(ग) कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सीसीई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सीसीडी 1(B) के तहत प्राप्त होगी।

7. आंशिक आहरण :– योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान गृह निर्माण, अधिसूचित स्वास्थ्य समस्याओं एवं बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह हेतु अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कर सकता है फार्म 601pw। (वित्त निर्देश 58/2017)

8. निकासी :–

निकासी का प्रकार	अधिकतम एकमुश्त राशि	न्यूनतम वार्षिकी क्रय	100% निकासी हेतु अधिकतम जमा	आवेदन फार्म
सेवानिवृत्ति	60%	40%	**5 लाख**	101GS
सेवात्याग	20%	80%	**2.5 लाख**	102GP
मृत्यु	20%	80%	**5 लाख**	103GD

9. डिफरमेंट :– अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है । इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा।

10. वार्षिकी क्रय (Annuity Service Providers)- वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु PFRDA के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी से सेवाएं से ली जाती है। ASP की सूची Website पर उपलब्ध है।

11. ऑनलाईन शिकायत (Grievance)- अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि को शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डीडीओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

1.3.3 पेंशनर कल्याण कोष :– राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मंडल पुर्नगठित है मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है। राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है। पेंशन कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 1,11,10,000/– में से दिसंबर 2023 तक 705 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में राशि रूपये 86,53,908/– स्वीकृत किया गया हैं।

1.3.4 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) :–

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (सिविल सेवा पेंशन नियम 1976) लागू किया गया है। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होगा।

2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 01.04.2022 से समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जा रही है।

3. वित्त विभाग के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का आबंटन, लेखांकन एवं संधारण का कार्य संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा किया जा रहा है।

4. इस योजना के लागू होने से NPS के तहत पंजीकृत लगभग 290921 शासकीय सेवकों का NIC के माध्यम से Bulk में CGPF खाता खोला गया एवं अप्रैल 2022 के वेतन से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान कटौती प्रारंभ कर दिया गया है।

5. 01 अप्रैल 2022 से या इसके पश्चात् नव नियुक्त शासकीय सेवको का कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन के आधार पर डी.डी.ओ. द्वारा इम्पलाई आईडी आबंटित किया जाता है तथा उसी आधार पर ऑनलाईन जिला कोषालय अधिकारी द्वारा CGPF खाता आबंटित किया जा रहा है। इम्पलाई आईडी एवं CGPF खाता आबंटन पश्चात् वेतन आहरण एवं CGPF अंशदान की कटौती प्रारंभ कर दिया जाता है।

6. दिनांक 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में लगभग 3,13,900 शासकीय सेवकों के CGPF खातों का संधारण संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जा रहा है।

भाग–दो बजट एक दृष्टि में–

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्ष 2023–24 दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में

मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	4,10,01,000	47,91,667
		योग 2054 –	**4,10,01,000**	**47,91,667**

मांग संख्या–06, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

2	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	20,00,000	0
		योग 2235 –	**20,00,000**	**0**

मांग संख्या–06, 2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

3	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	30,00,00,000	22,40,82,181
		योग 2071 –	**30,00,00,000**	**22,40,82,181**

मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी

4	(6633)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	6,50,000	0
		योग 2274 –	**6,50,000**	**0**

मांग संख्या– मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज संदाय

स. क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष 2023–24 हेतु प्रावधान	ब्याज समायोजन राशि (दिनांक 31.12.2023 तक)
1	6802	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00,000	0
		योग 2049 –	**1,00,000**	**0**

भाग–तीन

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय :–निरंक।

भाग–पांच– अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :– निरंक।

भाग–सात– अन्य विवरण :– निरंक

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

भाग –1

01. सामान्य जानकारी :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगम, मण्डल, बोर्ड, अकादमी आदि मे कार्यरत मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय 2023–24 (31.12.2023 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

02. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 922/1825/2019/स्था/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.10.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के इंद्रावती भवन स्थित संचालनालय एवं 08 क्षेत्रीय कार्यालयों और उनमें सम्मिलित जिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर	–	74
2	कार्यालय संयुक्त संचालक, रायपुर–I*	रायपुर,	51
3	कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर*	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, सक्ती, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	56
4	कार्यालय संयुक्त संचालक, जगदलपुर*	कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, कोण्डागांव	43
5	कार्यालय उप संचालक, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	38
6	कार्यालय उप संचालक, रायगढ़	जशपुर, रायगढ़, सारंगढ–बिलाईगढ़, कोरबा	38
7	कार्यालय संयुक्त संचालक, अम्बिकापुर*	सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	37
8	कार्यालय उप संचालक, रायपुर–II	महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गरियाबंद	42
9	कार्यालय उप संचालक, दुर्ग	दुर्ग, बेमेतरा	46
	कुल पद संख्या		425

टीप– (1) * संयुक्त संचालक कार्यालय स्वीकृत

(2) संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नहीं है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	पद का नाम	मैट्रिक्स लेबल	श्रेणी	पद संख्या
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
2	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	02
3	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	06
4	उप संचालक	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	12
5	सहायक संचालक	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	34
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेवल–08	तृतीय श्रेणी	87
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
8	अधीक्षक	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
9	मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड 1	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	04
10	सहायक अधीक्षक	लेवल–08	तृतीय श्रेणी	01
11	स्टेनोग्राफर	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01
12	सहायक संपरीक्षक	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	170
13	लेखापाल	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	01
14	सहायक ग्रेड 2	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	15
15	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	11
16	सहायक ग्रेड 3	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	27
17	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	05
18	वाहन चालक	लेवल–04	चतुर्थ श्रेणी	09
19	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	29
20	चौकीदार (अस्थाई)	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	08
			योग	**425**

टीप –संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नही है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 13326 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर–।, रायपुर–।।, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्रांतर्गत स्थित स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्था एवं अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

03. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार हैं :–

- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणाधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।
- ऐसी सभी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित करना जिनके अंकेक्षण किसी ऐसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओ का गठन किया गया हो, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किया जाना उपबंधित हो।
- ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी हो।

- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर शासकीय कोष में जमा कराना।
- निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।
- प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करते हुए महालेखाकार को भी सूचित करना।
- स्थानीय निकायों एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं नगर पालिक निगम रायपुर तथा इ.गा.कृ.वि.वि. रायपुर अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन का प्रमाण पत्र जारी कर निराकरण करना।
- अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियॉ जारी करना। स्थानीय निकायों के वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जानें के फलस्वरूप निकाय निधि से हुये दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जानें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

04. प्रशिक्षण :–संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :–

1. छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, निमोरा, रायपुर से दिनांक 09.10.2023 से 24.11.2023 तक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
2. कार्यालय महालेखाकार परिसर में समस्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु चार चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें विभागीय अधिकारियों सहित ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के द्वारा उक्त चारों चरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	दिनांक	संख्या
1	08.08.2023 से 11.08.2023	15
2	03.10.2023 से 06.10.2023	16
3	17.10.2023 से 20.10.2023	10
4	26.12.2023 से 29.12.2023	14

05. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 एवं धारा ''क'' के अंतर्गत इस संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत् विभाग में प्राप्त आवेदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 17 प्रकरण प्राप्त हुये तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस वर्ष 01 प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त सभी प्रकरणों में से 16 प्रकरणों का यथा समय निराकरण कर दिया गया। 01 प्रकरण पर निराकरण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

06. दक्षता संपरीक्षा (**Performance Audit**) :—

विगत कुछ वर्षो में विकास कार्यो तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ मे वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गो को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत क्रियान्वित तथा पंचायतों में संचालित निम्न योजना के दक्षता संपरीक्षा का कार्य किया जा चुका हैः–

1. नगरपालिक निगम रायपुर सीमा अंतर्गत विज्ञापन हेतु लगाये जाने वाले होर्डिंग की दक्षता संपरीक्षा,
2. कृषि उपज मण्डी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीनों की दक्षता संपरीक्षा,
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना,
4. पंचायती राज संस्थाओं में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना,
5. पंचायती राज संस्थाओं में संचालित श्रद्धांजलि योजना,
6. पंचायती राज संस्थाओं में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य,
7. छत्तीसगढ़ के प्री फेब्रीकेटेड सामुदायिक चलित बायो शौचालय की दक्षता संपरीक्षा,
8. छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में लागू डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना,
9. नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था पर विद्युत प्रभार की दक्षता संपरीक्षा।

07. छत्तीसगढ़ विधान सभा के ''पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' की बैठक :–

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार कर समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 07 समेकित प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार / परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 01.05.2018 को ''पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' का गठन किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2023 की अवधि में समिति की कुल 01 बैठक हुई है जिनमें स्थानीय निकायों की अंकेक्षण उपरांत प्राप्त महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

08. छत्तीसगढ़ पब्लिक फायनेंसियल मैंनेजमेंट एवं एकाउंटेबिलीटी कार्यक्रम (CGPFMAP) :–

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम / नियम / नियमावली में आवश्यक संशोधन, संपरीक्षकों में क्षमता निर्माण, संपरीक्षकों को तकनीकी सहायता / प्रशिक्षण, संपरीक्षा कार्य में नवीन प्रणालियों को अपनाया जाना तथा पायलट ऑडिट संचालित किया जाकर तद्नुसार बैकलॉग को समाप्त करने का कार्य सम्मिलित है।

संचालनालय द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत विश्व बैंक के Program Appraisal Document के DLI #4 अनुसार, निविदा आयोजित किया गया एवं शासन के अनुमोदन उपरांत कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दिनांक 29 जून 2020 को कार्यादेश जारी किया गया है।

कंसल्टेंट फर्म मेसर्स एस.के.पटौदिया एण्ड एसोसिएट्स के साथ, शासन से स्वीकृत Terms of Reference (TOR) के अनुसार अनुबंध संपादित किया गया, जिसके अनुसार इस कार्य के 02 भाग **Part-A** (Part-A के निम्नानुसार कुल 8 deliverables हैं) और **Part-B** है :–

Part-A Deliverables	1	Inception Report	15 माह
	2	AS IS study and Gap analysis report; current hardware status in DLFA; draft Training Needs Analysis	
	3	Draft Local Fund Audit Strengthening Plan including time-lined action plan; Communication Strategy	
	4	Draft Local Fund Audit Act/Rule/Manual	
	5	Report on Pilots conducted and Final Strengthening Plan, Finalization of Audit Manual	
	6	Training Strategy and Training materials	
	7	Report on Training of Champions and Audit Staff	
	8	Remainig amount will be released after successful completion of contract	
Part-B		Hand-holding Support	12 माह

कंसल्टेंट के द्वारा Part-A के अब तक 08 Deliverables पूर्ण किए जाकर अपना प्रतिवेदन दे दिया गया है। Deliverable 1,2,3,4,5,6,7 एवं 8 के प्रशासकीय एवं भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जा चुकी है। तत्पश्चात् Part-B अंतर्गत Hand Holding Support का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

09. विभागीय पदोन्नति / भर्ती :–

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2023 में की गई पदोन्नति की कार्यवाही अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में कार्यरत 09 सहायक संपरीक्षकों को ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद पर, तथा 01 सहायक ग्रेड 3 को सहायक ग्रेड 2 के पद पर तथा 01 सहायक ग्रेड 3 को सहायक संपरीक्षक (तृतीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

वर्ष 2021 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 3 सहायक संचालकों में से 2 सहायक संचालकों ने कार्यभार ग्रहण किया। जिसमें से 1 सहायक संचालक द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2022 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 5 पदों, स्टेनोटायपिस्ट हिंदी के 3 पद, स्टेनोग्राफर के 1 पद कुल 9 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

10. विभागीय कम्प्यूटरीकरण (elfa) :– छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के कार्यों यथा–अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने जैसे कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य NIC के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में विभागीय वेबसाईट www.lfa.cg.nic.in के अलावा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के इनपुट फार्मेट एवं आउटपुट फार्मेट विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों, मण्डी बोर्ड, विश्वविद्यालयों, जीवनदीन समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण, जिला/राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, इं.गां.कृ.विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कामधेनु विश्वविद्यालय में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के फार्मेट भी विकसित किए जा चुके हैं। विभागीय वेबसाईट के माध्यम से उक्त निकायों का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

11. ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर में पंचायतों के संपरीक्षा कार्य :—भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एवं निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल अधिकारी है तथा ऑडिट कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालक की है।

राज्य के 27 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों एवं 11660 ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021—22 में 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से संपादित कार्यों के लेखाओं का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

12. वेतन निर्धारण एवं सत्यापन प्रकोष्ठ :—वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक 1533/एल 11—2/वित्त/2010/बजट—4/चार, रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788/एफ—01002199/एल—11—2/ब—4, दिनांक 05.09.2018 द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत—प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वशासी निकायों, निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक) में कुल 8555 वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुल 948 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

13. विधानसभा प्रकोष्ठ :— संचालनालय स्थित विधान सभा प्रकोष्ठ के द्वारा नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के संपादित संपरीक्षा का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधानसभा में प्रस्तुत कराया जाता है। इस प्रतिवेदन पर छत्तीसगढ़ महालेखाकार द्वारा Peer Review (सहकर्मी समीक्षा) ली गई है। संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपित्तयों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ के द्वारा की जाती है।

14. विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ :—छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2004 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है। इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किया जाता है।

15. जनकार्य दिवस की स्थिति :—

अ. वित्तीय वर्ष 2022—23 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :—

01.04.2022 को अवशेष	2022—23 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2022—23 में संपादित कार्य (31.03.2023 तक)	31.03.2023 को अवशेष
907493	46263	953756	21902	931854

ब. वित्तीय वर्ष 2023—24 (31.12.2023 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :—

01.04.2023 को अवशेष	2023—24 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2023—24 में संपादित कार्य (31.12.2023 तक)	31.12.2023 को अवशेष
931854	50417	982271	26842	955429

16. संपरीक्षा शुल्क :—

अ. वित्तीय वर्ष 2022—23 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :—

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2022—23 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2023 तक)	दिनांक 31.03.2023 को अवशेष
227517895	56159041	283676936	47939171	235737765

ब. वित्तीय वर्ष 2023—24 (31.12.2023 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :—

01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	2023—24 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2023 तक)	दिनांक 31.12.2023 को अवशेष
235737765	22474016	258211781	18766742	239445039

17. संपरीक्षा प्रतिवेदन :—वित्तीय वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 (31.12.2023 तक) में विभिन्न संस्थाओं / निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :—

अ. वित्तीय वर्ष 2022—23 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थी :—

01.04.2022 को प्रसारण हेतु अवशेष	2022—23 में (31.03.2023 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2022—23 में (31.03.2023 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2023 को प्रसारण हेतु अवशेष
16	5579	5595	5560	35

ब. वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :—

01.04.2023 को प्रसारण हेतु अवशेष	2023—24 में (31.12.2023 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2023—24 में (31.12.2023 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2023 को प्रसारण हेतु अवशेष
35	8003	8038	7999	39

18. निराकृत आपत्तियां :— वित्तीय वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 (31.12.2023 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :—

अ. वित्तीय वर्ष 2022—23 की स्थिति में :—

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि ₹
398520	122445	520965	921	520044	293389528218

ब. वित्तीय वर्ष 2023—24 (31.12.2023 तक) की स्थिति में :—

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि ₹
520044	137523	647776	133	646967	323151542064

टीप :— क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के विभाजन पश्चात् रायपुर—1 एवं रायपुर—2 दो कार्यालयों के अस्तित्व में आने से संख्यात्मक आपत्ति संख्या में अंतर दृष्टव्य है।

19. प्रभक्षण :— लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :—

दिनांक 31.12.2023 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
1765	86318770.00

20. अधिभार :— छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी / कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैध व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :—

अ. वित्तीय वर्ष 2022–23 की स्थिति में :–

क्र.	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	21	24,20,667	0	21	24,20,667
2	अधिभार सूचना	09	2,01,056	0	09	2,01,056
3	अधिभार आदेश	30	4,33,820	0	30	4,33,820
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 (31.12.2023 तक) की स्थिति में :–

क्र.	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	18	13,60,105	0	18	13,60,105
2	अधिभार सूचना	09	2,01,056	0	09	2,01,056
3	अधिभार आदेश	29	4,19,320	0	32	4,19,320
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

21. राजस्व मांग वसूली :– विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि **₹1,59,49,43,916.00** तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023) में राशि **₹78,41,87,809.00** वसूली हेतु शेष थी।

22. अग्रिम :–

अ. वित्तीय वर्ष 2022–23 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि **₹**17,74,73,994.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023) की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि **₹**1,12,47,606.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है। वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

23. ऋण :–

अ. वित्तीय वर्ष 2022–23 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि **₹**27,80,28,348.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि **₹**9,68,01,90,104.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है।

24. अनुदान :–

अ. वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि **₹**8,54,82,52,627.00 अवशेष होना पाया गया।

ब. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि **₹**8,67,51,44,934.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

25. निक्षेप :–

अ. वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि **₹**6,17,500.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि **₹**22,69,14,495.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :–छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के द्वारा संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2023 तक कुल राशि **₹17.90** करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :–संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, चतुर्थ तल, नवा रायपुर अटल नगर

भाग–1

01. संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति, तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 13.12.2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 171 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है। (Source-https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics)

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में **नवम्बर 2023** तक PMJJBY के अंतर्गत 56.72 लाख, PMSBY के अंतर्गत

140.61 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत दिनांक 30.09.2023 की स्थिति में राज्य के 9.79 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है। (Source-SLBC)

सम्पूर्ण भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 42 प्रतिशत (जनगणना 2011 अनुसार दिनांक 20.12.2023 की स्थिति में–https://pmjdy.gov.in/account) से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गये हैं, जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के 67 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत भारत में जनसंख्या अनुसार 30 प्रतिशत से अधिक लोग लाभान्वित है जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या अनुसार 55 प्रतिशत लोग लाभान्वित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जनसंख्या अनुसार भारत में 14 प्रतिशत हितग्राही हैं जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या अनुसार में 22 प्रतिशत से अधिक हितग्राही हैं।

02. अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र 10 माह में राशि दुगुनी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 8 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट एवं ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

03. संचालनालय का प्रशासकीय ढाँचा :–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान लेवल	स्वीकृत पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	01
2.	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	01
3.	संयुक्त संचालक	लेवल–14	01
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	लेवल–14	01
5.	सहायक संचालक	लेवल–12	01
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	लेवल–12	01
7.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	लेवल–09	01
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	लेवल–09	04
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	लेवल–09	01
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	लेवल–07	01
11.	लेखापाल	लेवल–06	01

12.	सहायक वर्ग—2	लेवल—06	01
13.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	लेवल—06	03
14.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	लेवल—05	02
15.	सहायक ग्रेड—3	लेवल—04	03
16.	वाहन चालक	लेवल—04	03
17.	भृत्य	लेवल—01	03
18.	चौकीदार	कलेक्टर दर	01
		योग	**30**

वित्त विभाग के पत्र क्र. 1061/1775/2018/स्था/चार, दिनांक 20.08.2019 द्वारा डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 01 पद को समर्पित करते हुए सहायक प्रोग्रामर का 01 पद सृजन करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम ऑफिसर (ईएपी), प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेनोग्राफर वर्ग—3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग—2

<u>बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023—24 एवं व्यय</u>

<u>अ.</u>

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)—संबंद्व कार्यालय
4296—संचालनालय संस्थागत वित्त

(आंकडे लाख रू. में) (20 दिसम्बर 2023 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	156.50	97.27	59.23
02	मजदूरी #02	3.00	1.87	1.13
03	यात्रा भत्ता #03	6.00	0.00	6.00
04	कार्यालय व्यय #04	18.85	6.34	12.51
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	10.00	0.10	9.90
07	अनुरक्षण पर व्यय #24 एवं उपकरण	1.20	0.00	1.20
08	वाहनों का क्रय #34	6.50	0.00	6.50
	योग—	**203.05**	**105.58**	**97.47**

<u>ब.</u>

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)—संबंद्व कार्यालय
4296—संचालनालय संस्थागत वित्त
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (20 दिसम्बर 2023 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज—0101—5628	2200.00	743.71	1456.29
02	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना —0101—8671	0.01	0.00	0.01

स.

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)—संबंद्व कार्यालय
4296—संचालनालय संस्थागत वित्त
7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना

(आंकडे लाख रू. में) (20 दिसम्बर 2023 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	यात्रा भत्ता #03	5.00	0.17	4.83
02	कार्यालय व्यय #04	51.50	2.04	49.46
03	प्रशिक्षण #05	10.00	0.00	10.00
04	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	305.00	119.88	185.12
	योग—	**371.50**	**122.09**	**249.41**

द.

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)—संबंद्व कार्यालय
7836—अल्प बचत

(आंकडे लाख रू. में) (20 दिसम्बर 2023 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	107.25	59.18	48.07
02	यात्रा भत्ता #03	0.85	0.20	0.65
03	कार्यालय व्यय #04	4.82	0.94	3.88
	योग—	**112.92**	**60.32**	**52.6**

भाग—3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :—

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंक सुविधा रहित ग्रामों की संख्या में वृद्धि हुई है। सितम्बर, 2023 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1466, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 919 एवं शहरी क्षेत्रों में 983 कुल 3,368 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध सितम्बर, 2023 में 76.50% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2023 में 44.63% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2023 में 15.79% हुआ है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 12% के विरूद्ध सितम्बर 2023 में 13.93% हुआ है। (Source-SLBC data)

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 28 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है, जिनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 05 उपसमितियां भी हैं, जो विभिन्न विषयों

(वित्तीय समावेशन, कृषि, शासन प्रायोजित योजनाएं, डिजिटल भुगतान, स्टीयरिंग समिति) पर गठित की गई हैं।

3. बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :– शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिस हेतु वसूल की गई राशि का 2.5 प्रतिशत राज्य शासन के खाते में जमा किया जाता है।

4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सेल :– राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को end to end digitization (EED) करने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्नुसार विभाग में DBT Cell का गठन किया गया है। यह Cell DBT मिशन, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं को EED करने हेतु अपना योगदान दे रहा है साथ ही DBT भारत पोर्टल पर इन योजनाओं से संबंधित जानकारी अंकित करने का कार्य सम्पादित कर रहा है। राज्य में कुल 102 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं 100 राज्य प्रवर्तित योजनाएं DBT के अंतर्गत चिन्हित किये गये हैं।

5. वर्ल्ड बैंक सहायित CGPFMAP (Chhattisgarh Public Financial Management and Accountability Programme) योजना अंतर्गत राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। अतएव कार्यालय द्वारा वर्ल्ड बैंक एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस हेतु Project Management Consultant के रूप में KPMG संस्था का चयन किया गया है। साथ ही किये गये कार्यों के सत्यापन हेतु AMS Lucknow को Independent Verification Agency के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना की कुल लागत राशि रुपये 250.00 करोड़ है, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक द्वारा राशि रुपये 175.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना में वित्त विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय एवं प्रशासन विभाग सम्मिलित हैं। योजना अंतर्गत कुल 34 लक्ष्य बिन्दुओं में से 18 लक्ष्य बिन्दुओं को प्राप्त कर लिया गया है।

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2023–24 में कार्यालय की गतिविधियां :–

प्रथम अनुपूरक अनुमान एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023–24 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया तथा वर्ष 2024–25 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचा :–

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पद	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी / संवर्ग	पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	पदेन
2.	अपर संचालक, वित्त	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	01
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	01
4.	उप संचालक, वित्त	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	01
5.	सांख्यिकी अधिकारी	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	01
6.	प्रोग्रामर	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	01
7.	सहायक लेखा अधिकारी	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	02
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
9.	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	04
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01
13.	सहायक ग्रेड–02	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	01
14.	सहायक ग्रेड–03	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	03
15.	वाहन चालक	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	04
16.	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	03

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2023–24)
31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	6,58,44,000	2,53,63,738
2	2052	7919	लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	62,00,000	92,000
3	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	2,15,00,000	6,15,006
4	4070	7919	लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	10,00,000	0
			योग	9,45,44,000	2,60,70,744

(शीर्ष 06–2052–00–091–0000–4295–01–020 त्यौहार अग्रिम, 021 त्यौहार अग्रिम वापसियां, 022 अनाज अग्रिम, 023 अनाज अग्रिम वापसियां, वास्तविक व्यय में शामिल नहीं किया गया है।)

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2023 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)
	निरंक	

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़
पुराना मंत्रालय परिसर, शास्त्री चौक रायपुर

1. गठन :– छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 29 जुलाई 2021 को किया गया है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 तक है, जिसमें आयोग को पंचाट वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक स्थानीय निकायों एवं राज्य वित्त के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

2. पद संरचना :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र. 63/एफ द्वारा निम्नानुसार 27 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। पद संरचना निम्नानुसार है –

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	पदों की संख्या	रिमार्क
1	सचिव	लेवल–17	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
2	संयुक्त सचिव	लेवल–15	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
3	अनुसंधान अधिकारी	लेवल–12	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
4	स्टेनोग्राफर–1, अध्यक्ष के निज सचिव	लेवल–10	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5	कार्यालय अधीक्षक	लेवल–09	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
6	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–09	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	सहायक ग्रेड – 1	लेवल–07	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
8	संगणक	लेवल–06	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
9	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	लेवल–06	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
10	स्टेनोग्राफर वर्ग – 3	लेवल–07	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
11	लेखापाल	लेवल–06	01	–
12	सहायक वर्ग – 2	लेवल–06	02	–
13	सहायक वर्ग – 3	लेवल–04	02	–
14	वाहन चालक	कलेक्टर दर	02	–
15	भृत्य	कलेक्टर दर	05	–
16	चौकिदार	कलेक्टर दर	01	–
17	फर्राश	कलेक्टर दर	01	–
18	स्वीपर	कलेक्टर दर	01	–
		योग	**27**	

3. उद्देश्य :– छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण वित्त विभाग मंत्रालय अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च 2022 द्वारा राज्य वित्त आयोग को कार्य/दायित्व सौपें गए हैं।

- आयोग को प्राप्त दायित्वों में प्रमुख है स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
- आयोग राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्को, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य का स्थानीय निकायों के मध्य वितरण, अवधारण तथा संचित निधि से स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान का आबंटन निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में अनुशंसा करता है।
- आयोग के प्रमुख कार्यो में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना भी है।

4. कार्यप्रणाली :— राज्य वित्त आयोग द्वारा शासन को सौपी जाने वाली रिपोर्ट में अनुसंशाएँ आधार सहित प्रस्तुत करना है। अनुशंसा के आधार हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई गई :—

- स्थानीय निकायों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से चर्चा।
- शासन के विभिन्न विभागों के साथ बैठक।
- गैर शासकीय संस्थाओं से सुझाव।
- राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाओं (UNICEF, NIPFP, NIRDPR, IIM, NIT) से परामर्श एवं अध्ययन।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित सेमीनार एवं कॉनक्लेव में भागीदारी एवं आयोजन।
- अन्य राज्यों के स्थानीय निकाय प्रणाली का अध्ययन।

5. नवाचार :—

समंको का संकलन —

- आंकड़ों के संग्रहण हेतु आयोग ने चिप्स के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया है। यहाँ **SFC e-INFO-Portal** तथा मोबाईल एप के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त की जावेगी।

6. अध्ययन प्रायोजन :—

- स्थानीय संस्थाओं तथा प्राध्यापकों शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्राध्यापकों से आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित अध्ययन करवाये जाने हेतु आयोग एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया। संबंधितों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया आयोग स्तर पर विश्लेषण प्रगति पर है।
- आयोग द्वारा "राज्य वित्त आयोग इंटर्नशिप योजना" के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को इंटर्न्स के रूप में राज्य वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के संबंध में अल्पकालीन एक्सपोजर प्रदान करने हेतु इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की गई है।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

7. बजट :—

मांग संख्या 06, मुख्य शीर्ष—2052, सचिवालय सामान्य सेवाएं, लघु शीर्ष 091 संबद्ध कार्यालय, योजना (5338) राज्य वित्त आयोग

(राशि रूपये में)

स.क्र.	मद क्र.	मद का नाम	वर्ष 2023—24 हेतु प्रावधान	व्यय—31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति में
01	04—009	कार्यालय व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी	5,00,000	4,06,716
02	10—003	व्यवसायिक सेवा हेतु अदायगियाँ, परामर्श सेवाएँ	10,00,000	2,15,000
03	14—001	सहायक अनुदान, स्थापना अनुदान	1,00,00,000	98,29,518
04	18	पारितोषिक	100	निरंक
		योग	**1,15,00,100**	**1,04,51,234**